भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1188

03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-केएमवाई के अंतर्गत लाभार्थी

1188. श्री तनुज पुनियाः
श्री एंटो एन्टोनीः
श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) की शुरुआत से लेकर अब तक केरल और कासरगौड तथा कन्नूर जिलों सहित इसके अंतर्गत नामांकित किसानों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएम-केएमवाई के अंतर्गत प्रतिवर्ष राज्य-वार विशेषकर कासरगौड में कुल कितनी धनराशि आवंटित और वितरित की गई है; और

(ग) पीएम-केएमवाई के अंतर्गत नामांकित छोटे और सीमांत किसानों के वितरण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): "प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई)" एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 18 से 40 वर्ष की प्रवेश आयु वर्ग के किसानों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें, 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद, कुछ अपवर्जन मानदंडों के साथ रुपए
3000/- की न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए उनकी वृद्धावस्था के दौरान एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र बनाना है। इस योजना में अंशदान की राशि, किसानों की इस योजना में शामिल होने के समय आयु के आधार पर 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह के बीच है। भारत सरकार भी किसानों के पेंशन खाते में समान अंशदान देती है।

केरल में पीएम-केएमवाई के तहत कुल 1350 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 199 किसान कासरगौड जिले में और 63 किसान कन्नूर जिले में पंजीकृत हैं।

(ख): पीएम-केएमवाई के तहत, धनराशि राज्य-वार आवंटित नहीं की जाती है। इसके अलावा, इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन वितरित की जाती है।

(ग): पीएम-केएमवाई योजना के तहत पंजीकृत किसानों का राज्य-वार विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

अनुबंध-1

दिनांक 25.11.2024 तक, पीएमकेएमवाई के तहत पंजीकृत किसानों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	सकल-योग
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	521
2	आंध्र प्रदेश	32,350
3	अरुणाचल प्रदेश	2,375
4	असम	13,502
5	बिहार	3,45,038
6	चंडीगढ़	530
7	छत्तीसगढ	2,02,734
8	दिल्ली	354
9	गोवा	150
10	गुजरात	66,491
11	हरियाणा	5,74,467
12	हिमाचल प्रदेश	3,561
13	जम्मू और कश्मीर	1,26,577
14	झारखंड	2,53,105
15	कर्नाटक	49,721
16	केरल	1,350
17	लद्दाख	114
18	लक्षद्वीप	72
19	मध्य प्रदेश	1,17,307
20	महाराष्ट्र	80,393
21	मणिपुर	590
22	मेघालय	729
23	मिजोरम	301
24	नागालैंड	1,182
25	ओडिशा	1,57,342
26	पुदुचेरी	146
27	पंजाब	13,040
28	राजस्थान	38,913
29	सिक्किम	34
30	तमिलनाडु	1,10,582
31	तेलंगाना	9,719
32	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	287
33	त्रिपुरा	831
34	उत्तर प्रदेश	2,51,976
35	उत्तराखंड	2,148
36	पश्चिम बंगाल	8,098
	कुल	**24,66,630**

*****